

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 688 /बदायूँ/21110/2016, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 07, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय : बदायूँ में चन्दौसी-बदायूँ मार्ग (एस0एच0-43) किमी0 59 पर ग्राम-मुडिया के खसरा सं0-210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06776 हे0 (संशोधित 0.075028 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवापनिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/10/2017/एफसी/42, दि0 28.06.2017  
उ0प्र0शासन का पत्रांक-भा0स0-107/14-2-2017-800(198)/2016, दिनांक 17.07.2017  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचनायें पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

वन संरक्षक, बरेली ने अपने पत्रांक-758/14-1, दि0 21.08.2017 द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त अभिलेखों पर प्राधिकृत अधिकारी के नाम, पदनाम व दिनांक अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। अतः उक्त पत्र एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
✓ उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 688 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, बदायूँ।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
✓ उ0प्र0, लखनऊ।